प्रतिलिपि पत्र संख्या–सम्ब0–[illegible]/सत्तर–6–2013–2(419)/2013 दिनांक 19.11.2013 [illegible] अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./4067/2013, दिनांक 22.10.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के अधीन राज बहादुर सिंह डिग्री कालेज, लखना, इटावा को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, शिक्षाशास्त्र एवं भूगोल विषयों तथा विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान व वनस्पति विज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2013 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:–

1. संस्थान/महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
2. महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।
3. रिट याचिका संख्या–61359/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

पृष्ठा. संख्या–सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/5828/2014 दिनांक 23/09/14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्धक/सचिव, राज बहादुर सिंह डिग्री कालेज, लखना, इटावा को उपरोक्त शासनादेश के निर्देशानुसार सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन करने हेतु प्रेषित है।
2. उप कुलसचिव (सम्ब0) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर।
3. सहायक कुलसचिव (सम्ब0), सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर।
4. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर।
5. इंचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

प्रबन्धक
राजबहादुर सिंह शिक्षा प्रसार समिति
लखना (इटावा)